

सं.8(7)/संस्था.II(क)/2007

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग


संस्था.II (क) शाखा

नई दिल्ली, दिनांक जून 6, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के परिशिष्ट-12 में संशोधन ।

मुझे आर्थिक कार्य विभाग की बजट शाखा के दिनांक 25 अप्रैल, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/1/2006-टी.सी.ई. के अनुसरण में यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के परिशिष्ट -12 के भाग-I में प्रावधानों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के परिशिष्ट -12 के पैरा 2 तथा 4 में "उप सचिव (बजट)" के स्थान पर "उप सचिव (बजट) अथवा निदेशक (बजट) जैसी स्थिति हो" पढ़ा जाए ।



(रुबीना अली)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अतिरिक्त प्रतियों सहित) तथा सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार प्रेषित ।


(रुबीना अली)

अवर सचिव, भारत सरकार